न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेन्द्रप्रसाद(आर0ए0एस0)

राजस्व लोक अदालत अभियान
स्वयं आपके द्वार–2018

राजस्व वाद संख्या – 05/2018

वादीगण:

1– रामनिवास पुत्र प्रभूराम, जाति मेघवंशी, निवासी सोमणा, तहसील जायल जिला नागौर।
2– बनाराम पुत्र बीरमाराम, जाति मेघवंशी, निवासी सोमणा, तहसील जायल जिला नागौर।
3– डालूराम पुत्र बीरमाराम, जाति मेघवंशी, निवासी सोमणा, तहसील जायल जिला नागौर।
4– मेहराम पुत्र बीरमाराम, जाति मेघवंशी निवासी सोमणा, तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण:

1– गणपत पुत्र प्रभूराम, जाति मेघवंशी, निवासी सोमणा, तहसील जायल जिला नागौर।
2– सोहनी पत्नि प्रभूराम, जाति मेघवंशी, निवासी सोमणा, तहसील जायल जिला नागौर।
3– तहसीलदार जायल जिला नागौर।

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थित अधिवक्ता–बर वक्त बहश

1. श्री जीयाराम गोदारा वादीगण की और से।
2. श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की और से

:: निर्णय ::

दिनांक – 11.05.2018

1– वादी के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा सोमणा तहसील जायल के खेत खसरा नं. 36 रकबा 10.10 बीघा, खसरा नं. 84 रकबा 08.12 बीघा, खसरा नं. 173/4 रकबा 10.00 बीघा, खसरा नं. 714 रकबा 04.02 बीघा तथा खसरा नं. 702 रकबा 09.16 बीघा वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के बडेर के खेताय है।वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने आपसी पारिवारिक सहमति से भूमि का मोखिक बंटवारा संवत 2065 को वाद के पैरा संख्या 2 तथा उप पैरा संख्या क, ख, ग, घ, ड़ के अनुसार कर लिया था। परन्तु उक्त बंटवारा का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नही होने से वादीगण को यह वाद न्यायालय हाजा में पेश करना लाजमी हो गया है। वादीगण ने वाद पेश कर वाद के पैरा संख्या 2 में वर्णित बंटवाड़ा स्कीम के अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जरिये वकील शिवकुमार पाराशर के उपस्थित होकर ईकबाली जबाव दावा पेश किया तथा भूमि को पुश्तैनी होना तथा बंटवाड़ा स्कीम को स्वीकार किया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील के गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा ईकबाली जवाब पेश कर वाद को स्वीकार करने के कारण प्रकरण में विवाधक बिन्दु तय नही किये।

प्रकरण में पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए दावा के अनुसार डिकी जारी करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने भी इसमें कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। वाद को डिकी किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक एवं भली भांति अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया। वाद वादीगण का स्वीकर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है :–

1. कि वादी संख्या 1 रामनिवास के बंट में मौजा सोमणा के खेत खसरा नं. 173/4 रकबा 10 बीघा में से 09 बीघा उत्तरी भाग रखा जाकर हक बंट कब्जा कास्त तथा खातेदार का घोषित किया जाता है।
2. कि वादी संख्या 2 बनाराम के बंट मोजा सोमण के खेत खसरा नं. 174 रकबा 04.02 बीघा में से 02.10 बीघा पश्चिमी भाग व खसरा नं. 173/4 रकबा 10 बीघा में से 1 बीघा दक्षिणी भाग रखा जाकर खातेदार का घोषित किया जाता है।
3. कि वादी संख्या 3 डालूराम के बंट में मौजा सोमणा के खेत खसरा नं. 84 रकबा 08.12 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. कि वादी संख्या 4 मेहराम के बंट में मौजा सोमणा के खेत खसरा नं. 36 रकबा 10.10 बीघा पूरा तथा खसरा नं. 174 रकबा 04.02 बीघा में से 1.12 बीघा पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 गणपत व सोहनी के शामलाती बंट में मौजा सोमणा का खेत खसरा नं. 702 रकबा 09.16 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है। इसी माफिक डिकी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।

Scanned by CamScanner